

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

कार्यालय आदेश.....१२४...../2025.

सं०सं०- अ०नि०(०२) ३७/२०२५/नि०सं०

श्रीमती नंदिनी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, समस्तीपुर को वित्त विभागीय अधिसूचना सं० ५०५९ दिनांक १६.०६.२०१४ एवं अधिसूचना संख्या ६४० दिनांक १९.०१.२०१५ में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक १८.०८.२०२५ से १३.०२.२०२६ तक कुल १८० (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

२. इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(सुधांशु कुमार चौबे)

विशेष सचिव—सह—प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक: अ०नि० (०२) ३७/२०२५/नि०सं०..... दिनांक

प्रतिलिपि:— जिला पदाधिकारी/मुख्य अभियोजक, समस्तीपुर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ श्रीमती नंदिनी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/—

विशेष सचिव—सह—प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ०नि० (०२) ३७/२०२५/नि०सं०.....१२४.....

दिनांक.....१२/१०/२५

प्रतिलिपि:— प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव—सह—प्रभारी निदेशक।

—३७९